संख्या-1/2024/1496/78-2-2023 –ई-1771443

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डी.ई.जी.एस., सोसाइटी, उ0प्र0।
3- राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।

आई.टी.एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2024

विषयः- जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों की सेवाएं दिनांक 31-12-2023 से आगे विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-सीईजी/पी/09/ईडीएम/331/VIII/2023, दिनांक 11-12-2023 (प्रतिसंलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सीएससी-3.0 योजना हेतु जनपदों में कार्यरत ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों की सेवाएं विस्तारित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-16/284/78-2-2021-53 आई0टी0/2012 दिनांक 27-03-2021 के प्रस्तर-4 (I) में संशोधन किये जाने जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त अपेक्षा के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-16/284/78-2-2021-53 आई0टी0/2012 दिनांक 27-03-2021 के प्रस्तर-4 (I) में निम्नवत संशोधन किये जाने पर मत स्थिर किया गया हैः-

" जो डीईजीएस अपने जनपद में तैनात ईडीएम के कार्य एवं व्यवहार से संतुष्ट हों, वह सीएससी-3.0 योजना हेतु ईडीएम के साथ नया अनुबन्ध करने पर विचार कर सकते हैं। नया अनुबन्ध 01-01 वर्ष कर कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर उनकी संविदा अवधि अधिकतम 05 वर्षों (दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक) के लिए बढ़ायी जा सकती है।"

उक्त शासनादेश दिनांक 27-03-2021 की शेष व्यवस्था एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

3- कृपया ससमय उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर सूचना राज्य समन्वयक, सीईजी को उपलब्ध कराते हुये उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 1496 (1) /78-2-2023 एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- हेड, एसईएमटी, गोमती नगर,लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in